20-9-22 वास्ते बहस समय चाहा गया। अतः अंतिम अवसर दिया जाकर वास्ते बहस पत्रावली 27-9-22 को पेश हो।

sd/-

27-9-22 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 को वादग्रस्त आराजी का बेचान, रहन व किसी प्रकार का अंतरण नही करने एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

अप्रार्थीगण के जवाब व आपत्ति के अभाव में प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्य व पत्रावली पे प्रस्तुत दस्तावेजात को सही मानते हुए अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को ता फैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वाद ग्रस्त आराजी ग्राम ख़वेडियाखान तहसील इन्द्रगढ़ पे स्थित खसरा सं. 44, 45, 46, 51, 52, 55, 56 का बेचान रहन व किसी प्रकार का अंतरण नही करे। एवं मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसला मुताबिक होकर संलग्न मूल वाद रहे।

sd/-

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी